


 सत्यमेव जयते
दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 428]

दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 24, 2017/अग्रहायण 3, 1939

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 350

No. 428]

DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 24, 2017/AGARHAYANA 3, 1939

[N.C.T.D. No. 350

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 नवम्बर, 2017

सं. 49 /2017- राज्य कर

सं. फा. 3 (42) /वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/747.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, अधिसूचना सं. 48/2017-राज्य कर तारीख 23 नवम्बर, 2017 के साथ पठित दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 89 के उपनियम (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाउल्लिखित ऐसे साक्ष्य के रूप में, जिसे प्रतिदाय का दावा करने के लिए समझी गई निर्यात पूर्तियों के पूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	साक्ष्य
(1)	(2)
1	यथास्थिति, अग्रिम प्राधिकार धारक या निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार धारक का अधिकारिता वाला कर अधिकारी द्वारा अभिस्वीकृति कि उक्त समझी गई निर्यात पूर्तियां उक्त अग्रिम प्राधिकार या निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार धारक द्वारा प्राप्त हो गई हैं या प्राप्तिकर्ता निर्यातोन्मुख यूनिट द्वारा सम्यकतः हस्ताक्षरित ऐसा कर बीजक जिसके अधीन ऐसी पूर्तियां पूर्तिकर्ता द्वारा की गई हैं, कि उक्त समझी गई निर्यात पूर्तियां उसके द्वारा प्राप्त कर ली गई हैं, की एक प्रति।

2	समझी गई निर्यात पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता द्वारा वचनबंध कि ऐसी पूर्तियों पर कोई इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उसके द्वारा नहीं लिया गया है।
3	समझी गई निर्यात पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता द्वारा वचनबंध कि वह ऐसी पूर्तियों की बाबत प्रतिदाय का दावा नहीं करेगा और पूर्तिकर्ता प्रतिदाय का दावा कर सकेगा।

यह अधिसूचना 18 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त हुई मानी जायेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उप-सचिव VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd November, 2017

No. 49/2017-State Tax

F. No. 3 (42) (Rev.-I)/2017-18/DS-VI/747.—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-rule (2) of rule 89 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 read with notification No. 48/2017–State Tax, dated the 23rd November, 2017 issued by the Finance Department, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby notifies the following, as detailed in column (2) of the Table below, as evidences which are required to be produced by the supplier of deemed export supplies for claiming refund, namely:—

TABLE

Sl. No.	Evidence
(1)	(2)
1.	Acknowledgment by the jurisdictional Tax Officer of the Advance Authorisation holder or Export Promotion Capital Goods Authorisation holder, as the case may be, that the said deemed export supplies have been received by the said Advance Authorisation or Export Promotion Capital Goods Authorisation holder, or a copy of the tax invoice under which such supplies have been made by the supplier, duly signed by the recipient Export Oriented Unit that said deemed export supplies have been received by it.
2.	An undertaking by the recipient of deemed export supplies that no input tax credit on such supplies has been availed of by him.
3.	An undertaking by the recipient of deemed export supplies that he shall not claim the refund in respect of such supplies and the supplier may claim the refund.

This notification shall be deemed to have come into force from the 18th day of October, 2017.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,
A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)